Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

लखन शर्मा *

* शोधार्थी, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस योजना के जरिए किसानों को एक प्रकार से आय का सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास सरकार द्वारा अत्यन्त न्यूनतम प्रीमियम दरों पर किया गया है। इसमें फसलों की बुआई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। नुकसान के दावों का ऑनलाईन भुगतान करने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, फसल हानि होने पर दावों के शीघ्र भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग करने का भी इसमें प्रावधान है। पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार–चढ़ाव से जूझ रही है। कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्तव को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। देश में कृषि विकास को बढ़ाने तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस क्रम में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रस्तावना – भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जिसकी राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग इसी से प्राप्त होता है। भारत में 70 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति फसलों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत का कृषि उत्पादन में विश्व में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी गाँव में बसती है। इनका मूल पेशा कृषि है। एक तरह से कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जब तक की कृषि का विकास नहीं होगा तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात बेमानी है, क्योंकि भारत की दो तिहाई जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि एवं उससे जुड़े अन्य उपक्रमों पर आधारित है। यही वजह है कि भारत में कृषि विकास के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन आजादी के 78 वर्षों में हम विकास की चकाचौंध में बहुत आगे निकल गए और अपने गाँव, खेत–खलिहान व खेती किसानी की विरासत को गँवा बैठे। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से खुराक ले रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि विकास के सभी प्रयत्नों के बावजूद भारतीय कृषि मुख्यत: प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर है, अतिवृष्टि, सूखा, ओले, पाला पड़ने व प्राकृतिक विपदाओं और कीड़े लग जाने पर खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और कृषक अपने भाग्य को कोसने और वर्ष भर साहूकारों के कर्ज में पिसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी कई पीढ़ी कर्जदार हो जाती है। प्रत्येक उद्योग चाहे वह छोटा हो या बड़ा कुछ न कुछ विश्वसनीयता रहती है पर कृषि में इसका पूरी तरह से अभाव है। भारत में सूखा, अतिवृष्टि, ओले, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसान की यदि फसल खराब हो जाती है तो उसका पूरा नुकसान उसी को सहना होता है। पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य में सरकार ज्यादा से ज्यादा फसल की या तो मालगुजारी माफ करती है या फसल उगने के लिए जो उसने कर्ज लिया है उसे लौटाने की अवधि बढ़ा देगी। इसमें विपत्तिग्रस्त कृषकों को राहत तो पहुँचती है, परन्तु इसमें अपेक्षित लाभ नहीं हो पाता और ये किसानों को सरकार के द्वारा मिली दया और सहानुभूति मात्र है। देश के अधिकतर राज्य सूखे से जूझ रहे हैं और बहुसंख्य ग्रामीण आबादी संकट के दौर से गुजर रही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय कृषि उतार–चढ़ाव से जूझ रही है। वर्ष 2014–2015 में मानसून में 12 प्रतिशत की कमी से ही फसलोत्पादन में 3.2 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी।

1901 से लेकर अब तक ऐसा चौथी बार हुआ, जब लगातार दो सालों तक देश को सूखे का सामना करना पड़ा। इसी तरह ओलावृष्टि और कहीं–कहीं अत्यधिक वर्षा ने भी फसलों को प्रभावित किया। किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तैयार फसल भी एक दिन की आपदा में बर्बाद हो जाती है। इसके लिए देश में फसल बीमा योजना लागू थी पर उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था और यही वजह है कि फसल बीमा योजना का विस्तार कृषक जनसंख्या में मात्र 23 प्रतिशत आबादी तक ही था। इसमें जरूरी बदलाव किये गए और प्रीमियम में कटौती से लेकर क्लेम के भुगतान में तेजी और नये जोखिम को सम्मिलित करने संबंधी धारा इसमें जोड़ी गई। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को विधिवत आरम्भ किया। यह योजना 2016 में खरीफ की बुवाई के समय से लागू की गई। इसमें किसानों के लिए बेहद कम प्रीमियम देने का प्रावधान रखा गया है।

बीमा कंपनियाँ जो प्रीमियम की दर तय करेंगी उसमें खरीफ के लिए किसानों को सिर्फ 2 प्रतिशत राशि देना होगी। रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत राशि देना किसानों के लिए तय किया गया। बाकी की प्रीमियम राशि केन्द्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर देंगी। इस योजना मे यह प्रावधान रखा गया की कम से कम 25 प्रतिशत का दावा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएँगी। कृषि मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों में देश के 14 करोड़ किसानों में से 50 प्रतिशत को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लेने का लक्ष्य रखा है। पहले वर्ष 2016-2017 में 30 प्रतिशत किसानों को इसमें शामिल किया गाया। इस योजना के लिए 2016-2017 में 5550 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। इसके पश्चात प्रतिवर्ष इसके बजट में वृद्धि की गयी एवं चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा 69515.71 करोड़ रु. राशि का व्यय किया गया और म.प्र. सरकार के द्वारा भी 2000 करोड की राशि प्रदान की गयी है।

अत: प्रस्तुत शोध में कृषकों की आर्थिक स्थिति पर फसल बीमा योजना के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतू म.प्र. के उज्जैन जिले का अध्ययन किया जायेगा एवं इस योजना से संबंधित सभी जानकारियों का तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किया जायेगा।

साहित्य की समीक्षा – प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के साथ, भारतीय कृषि में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है और 2014 में शुरू किए गए सुधारों का एजेंडा मुखर हो गया है। इस समिति में 7 राज्यों- महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री तथा सदस्य सचिव के रूप में नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं। कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों की भारत में किसी भी विकास योजना प्रक्रिया में अहम् भूमिका है, क्योंकि ये रोजगार के अवसर मुहैया करवाते हैं। खाद्यान्न और खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और चीनी, कपड़ा, हर्बल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित करते हैं, जिनमें लोगों को बड़ी संख्या में स्तरीय रोजगार मिलते हैं। कृषि के लिए बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि, मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण कृषि जीडीपी में वृद्धि कुछ कम रही। (मिश्रा, डॉ. जे.पी.)

कृषि बजट में निरन्तर वृद्धि – इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सरकार द्वारा गत चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को निरन्तर प्राथमिकता दी गई है। इस क्रम में न सिर्फ कृषि उत्थान पर आधारित नई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया, बल्कि इनके लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई। कृषि बजट के प्रावधान को बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ (वर्ष 2014-19) किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के कृषि बजट के लिए 1.21 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। कृषि से सम्बद्ध अन्य क्षेत्रवार आवंटन पर गौर करें तो फसल बीमा योजना की राशि को 2151 करोड़ से छह गुना बढ़ाकर 13000 करोड़, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए प्रावधान को 30 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़, कृषि यंत्रीकरण के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में राशि को बढ़ाकर 1165 करोड़ रूपये (वर्ष 2013-14 में 58 करोड़), ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि सिंचाई योजना का बजट भी इस वर्ष बढ़ाकर 4000 हजार करोड़ रूपये किया गया है। कमोबेश, इसी तरह से अन्य प्रमुख कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी (1420करोड़), मात्स्यिकी (642करोड़) आदि में बजटीय राशि की बढ़ोतरी चालू वर्ष के बजट में की गई।

राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशें लागू – कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्त्व को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। कृषि में फसल कटाई उपरांत प्रसंस्करण, विक्रय के लिए बाजार एवं इससे सम्बन्धित व्यवस्था पर समुचित ध्यान देने का भी इसमें सुझाव दिया गया था। यही नहीं, प्राकृतिक सम्पदाओं में लगातार क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसान कमीशन ने प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक तौर-तरीके से प्रबन्धन एवं सतत् उत्पादन तथा विकास की ओर भी इशारा किया था। इसी तरह से मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से भू-धारकों एवं लीज प्राप्तकर्ता दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है। (सिंह, अशोक)

भारत में सत्तर करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी हैं और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। जिन इलाकों में आत्महत्या के मामले सामने आए, वे कहीं न कहीं मौजूदा ग्रामीण संकट के केन्द्र में रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसकी खासियत के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बीमा कंपनियाँ खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ 2 प्रतिशत देना होगा। रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ 1.5 फीसदी किसान देंगे। वहीं, बागवानी और कपास की फसलों के मामले में किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केन्द्र और राज्य की सरकारें बराबर-बराबर देंगी। कम से कम 25 प्रतिशत क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। इस दौरान की कृषि उपलब्धियों पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 284.63 मिलियन टन होने की संभावना है। इसी प्रकार बागवानी फसल 305 मिलियन टन, दलहन उत्पादन 25.23 मिलियन टन, दुग्ध उत्पादन 176.35 मिलियन टन, बागवानी उत्पादन 306.82 मिलियन टन एवं मत्स्य उत्पादन 126.14 मिलियन टन होने का विशेष तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। इन उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय सामूहिक तौर पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों तथा कृषि-आधारित सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनके कारण कृषि उत्पादन के रिकार्ड ऊँचाइयों तक पहुँच पाना संभव हो सका है। (मिश्र, उमाशंकर)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसका उद्देश्य है फसल के खराब होने पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का परिवर्धित रूप है। फसलों की बढ़ती लागत, होने वाले नुकसान और फसलों की कीमत में आ रही गिरावट से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिससे किसान मानसिक दबाव में हैं। कई राज्यों में इसी वजह से हाल ही में किसान आंदोलन हुए और कुछ किसान खुदकुशी करने लिए मजबूर हुए। कई राज्य सरकारों को कृषि कर्ज को माफ भी करना पडा। भारत में अभी भी खेती-किसानी बारिश पर निर्भर है। मानसून के अच्छे नहीं

रहने पर फसल अक्सर बर्बाद हो जाती है। बाढ़ और सूखा भारतीय किसानों की नियति बन गई है। मानसून की अनिश्चितता के चलते किसानों के लिए एक नई फसल बीमा योजना की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रस्तावित की गई जिसे 13 जनवरी, 2016 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। शुरू में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया में कुछ खामियाँ थीं, जिन्हें बाद में लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दूर किया गया। योजना को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया गया है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम कर रहा है और इसके तहत 3 सालों के अंदर सरकार की योजना 8800 करोड़ रूपये खर्च करने की है। इसके अलावा मंत्रालय 50 प्रतिशत किसानों को भी इस योजना की जद में लाना चाहता है। (सिंह, सतीश)

केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच फसल बीमा अहम् योजना है। इसके जरिए किसानों को राहत प्रदान की जाती है। फसल बीमा के अन्तर्गत अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। पिछले दिनों सरकार की ओर से इसके कुछ स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए संशोधित फसल बीमा योजना नाम को मंजूरी दी गई हैं। फसलों के बर्बाद होने के बाद निराश होने वाले किसान अब घर बैठने के बजाय खेतों में उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाते नजर आते है। इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है। (श्रीवास्तव, दिव्या)

फसल बीमा से किसानों को लाभ – किसान फसल बीमा अपनाकर अपने आपको अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, कीटों एवं रोगों और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देश में राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम के तीनों घटकों पर कार्य चल रहा है। इसमें एक संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, तो दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं तीसरी नारियल पाम बीमा योजना है। इन सभी में अलग-अलग व्यवस्थाएं दी गई।

मुख्य विशेषता – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत बीमा किश्त का भुगतान करना है। हाँ, वार्षिक फसलों जैसे, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत की दर से बीमा किश्त देनी होगी। किसानों को आर्थिक मोर्चे पर असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने बीमा किश्त की दर को बहुत ही कम रखा है। हालाँकि, बीमा कंपनियों को सरकार वास्तविक बीमा किश्त का भुगतान कर रही है, जिसका भार केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उठा रहे हैं।

लक्ष्य – इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से फसलों को नुकसान होने होने पर किसानों को बीमा के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, किसानों की आय को स्थायित्व देना, कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना आदि है।

वर्ष 2020 के बाद यह योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए यह योजना को वेकल्पिक कर दिया गया किसानों को बैंक में जहाँ पर उनका खाता हैं वहाँ पर जाकर फसल का बीमा करवाना होता हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसान आदि को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

(1) फसल बोने के अधिकतम 10 दिन के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म भरना जरूरी है।

(2) फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान है तो भी आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

(3) इस योजना में आपको फसल खराब होने पर तभी बीमा की रकम मिल सकेगी जब आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण ही खराब हुई हो, जैसे ओला, जलभराव, बाढ़, तूफान, तूफानी बरसात, जमीन धँसना इत्यादि।

शोध का उद्देश्य:

(1) उज्जैन जिले में किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर का अध्ययन करना।

(2) फसल बीमा के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।

(3) फसल बीमा से किसानों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन।

शोध की परिकल्पना:

1. फसल बीमा योजना अपनाने वाले कृषकों की फसल उत्पादन क्षमता के बीच सीधा संबंध है।
2. फसल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव कृषकों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन से है।

शोध प्रविधि – अध्ययन हेतु उज्जैन जिले उज्जैन तहसील में से तीन गांव का चुनाव फसल बीमा लेने वालों किसानों की संख्या की अधिकता के आधार पर किया गया और प्रत्येक गांव से 10-10 किसानों का सर्वे किया गया। इन किसानो को कृषक भूमि के क्षेत्र के आधार पर वग्रीकृत किया जायेगा, इन 10 किसानों में से 2 किसान सीमांत कृषक (1 हेक्टेयर से कम या 5 बीघा से कम), 2 किसान लघु कृषक (1 हेक्टेयर से अधिक एवं 2 हेक्टेयर से कम, 5 बीघा से अधिक तथा 10 बीघा से कम), 2 किसान अर्द्धमध्यम कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक व 4 हेक्टेयर से कम, 10 बीघा से अधिक एवं 20 बीघा से कम), 2 किसान मध्यम कृषक (4 हेक्टेयर से अधिक तथा 10 हेक्टेयर से कम, 20 बीघा से अधिक एवं 50 बीघा से कम) एवं 2 किसान वृहद कृषक (10 हेक्टेयर से अधिक या 50 बीघा से अधिक) के रूप में चयनित किये गये।

तालिका क्र.1 : किसानों के लिंग की जानकारी

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	23	76.66
2	महिला	7	23.33
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में कुल 30 किसानों में 23 पुरूष किसान जिनका 76.66 प्रतिशत रहा और 7 किसान महिला जिनका प्रतिशत 23.33 रहा हैं। इनमें सभी को फसल बीमा की जानकारी इन सभी को कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से दी गई थी इन सभी किसानों ने अपनी फसल गेंहूँ और सोयाबीन की फसल का बीमा जिस बैंक से किसानों ने कृषि कार्य हेतू लोन लिया था उसी बैंक के द्वारा किसानों से सहमती लेकर उनकी फसल का बीमा कर दिया गया। खरीफ 2025 की फसल में सोयाबीन का बीमा किया गया जिसकी प्रीमियम राशि 940 रू. प्रति हेक्टेयर थी जो की किसानों के बैंक खाते काटी गई और सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि 3901 रू. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। इसी तरह रबी 2023-24 में गेहूँ की

फसल का बीमा प्रीमियम राशि 705 रू. प्रति हेक्टेयर किसानों के बैंक खाते से काटी गई और सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि 2783 रू. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। जिससे किसानों की फसल का बीमा किया गया जिससे की प्राकृतिक आपदा से फसल को हाने वाले नुकसान से सुरक्षा मिली। और किसानों की चिंता कुछ कम हुई।

तालिका क्र.2 : किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर

क्र.	फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	उच्च	7	23.33
2	मध्यम	9	30
3	निम्न	14	46.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में उच्च फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 7 रही जिसका प्रतिशत 23.33 रहा हैं और मध्यम फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा हैं और निम्न फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 14 रही जिसका प्रतिशत 46.67 रहा हैं। जिससे यह कहा जा सकता है कि फसल बीमा के बारे में जानकारी जिनके पास निम्न है उनकी संख्या अधिक हैं।

तालिका क्र.3: किसानों का आकार

क्र.	किसानों का आकार	संख्या	प्रतिशत
1	सीमांत किसान	13	43.33
2	लघु किसान	8	26.67
3	अर्द्धमध्यम किसान	3	10
4	मध्यम किसान	4	13.33
5	वृहद् किसान	2	6.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में सीमांत किसान की संख्या 13 रही जिसका प्रतिशत 43.33 रहा हैं और लघु किसान किसानों की संख्या 8 रही जिसका प्रतिशत 26.67 रहा। अर्द्धमध्यम किसान की संख्या 3 रही जिसका प्रतिशत 10 रहा। इन किसानों को ही प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हाने से अधिक नुकसान होता हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर किसान अपनी फसल का उत्पादन कर्ज लेकर करते हैं यदि प्राकृतिक आपदा से इनकी फसल खराब होती हे तो इनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है। मध्यम किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा और वृहद् किसान 2 रहे जिसका प्रतिशत 6.67 रहा इन किसानों के पास अधिक भूमि होने के कारण यह बहुफसल का उत्पादन करते हैं। और इनकी आर्थिक स्थिति छोटे किसानों की तुलना अच्छी होती हैं जिससे इन पर फसल बीमा का प्रभाव कम रहा।

तालिका क्र.4: फसल बीमा के लाभ

क्र.	फसल बीमा के लाभ	संख्या	प्रतिशत
1	फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति होती है	17	56.67
2	ऋण की चिंता नहीं रहती हैं	9	30
3	फसलो में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती	4	13.33
	कुल	30	100.0

सर्वे के अनुसार फसल बीमा के लाभ में फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति होती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 17 रही जिसका प्रतिशत 56.67 रहा। ऋण की चिंता नहीं रहती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा। और फसलो में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती कहने वाले किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा। फसल का औसत उत्पादन से यदि 25 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब होने पर ही बीमा कंपनी फसल का बीमा देती है। यह जानकारी किसानों को नहीं है, जिनसे उनका स्वयं का नुकसान ज्यादा होता है और बीमा कंपनी इसका लाभ उठाती है और बीमा क्षतिपूर्ति करने से बच जाती है और किसानों को नुकसान की भरपाई स्वयं ही वहन करनी पड़ जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर होता है। कई किसान इस वजह से भी डिफाल्टर हो गये हैं और सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी सहायता से भी वंचित हो जाते हैं और किसानों को फिर सोसायटी से खाद/बीज भी नहीं मिल पाता है और उनको यह सब बाजार कीमत पर खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी फसल की लागत भी बढ़ जाती है और उन पर नया कर्ज हो जाता है। जिसका ब्याज अधिक होता है, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले और अधिक दब जाता है। किसानों को चाहिये कि वह क्रॉप कटिंग प्रक्रिया में सही वजन करवाये और उसी वजन को लिखवाये और अधिकारियों को भी उन्हें सही तरह से समझना चाहिये कि कि आज का वजन सही लिखने पर, जब फसल खराब होगी तो उन्हें उस समय इसका फायदा अधिक होता है और फसल का नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ ही बार होता है कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसलिये क्रॉप कटिंग के समय फसल उत्पादन का सही-सही वजन लिखवाना ही लाभदायक होगा, जो कि किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर उनकी आर्थिक रूप से रक्षा करेगा और उन्हें नये ऋण के कर्ज से बचायेगा। समय-समय पर सरकार भी इनकी मदद करती है पर यह मदद बहुत ही कम मात्रा में होती हैं जिससे किसान परिवार को आर्थिक रूप बहुत ही कम लाभ मिल पाता है और किसान सिर्फ अपने भाग्य को ही कोसता रह जाता है। सरकार को फसल बीमा की क्षतिपुर्ति की राशि को जल्द और वास्तव में जो फसल के उत्पादन किसान का खर्च हुआ हैं कम से कम उतनी बीमा राशि अवश्य रूप से किसानों को बीमा कम्पनी से फसल की क्षतिपुर्ति देने को बाध्य करना चाहिये और बीमा कम्पनी को यह भी बताने को कहना चाहिये किस आधार पर आपने खराब हुई फसल का बीमा दिया हैं वह किसानों को बताना होंगा यदि किसी किसान का बीमा नहीं मिला हैं तो उसके कारणों को किसानों को बताना चाहिये। जिससे यह योजना और अधिक कारगर और किसान हितेषी हो सकेगी।

निष्कर्ष – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किफायती दर पर फसली ऋण एवं दूसरे कृषि ऋणों की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हालाँकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्ज लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फसलों का बीमा काराना किसान आवश्यक मानते है। अस्तु, कर्ज के माध्यम से किसान अपने जोखिम का आसानी के साथ प्रबंधन कर सकते हैं। कृषि कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान है। सरकार ने बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कर्ज देने में कोताही नहीं करें, साथ

ही ऋण प्रक्रिया को और भी आसान बनाएँ। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किश्त बहुत ही कम रखी गई है और सस्ती दर पर कृषि ऋण भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना को अपने क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली सभी फसलों के लिए किया जाना चाहिए और कब कोन सी फसल का बीमा होगा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिये जिससे सभी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सके और अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित कर सके और फसल खराब हाने पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, डॉ.जे.पी. (2019),'कृषि सम्बन्धी सुधारों के लिए रोडमैप' *कुरूक्षेत्र*, अंक 12, पृ.क्र.8-12, आईएसएसएन 0971-8451
2. सिंह, अशोक (2019),'कृषि विकास की दिशा में प्रयास और उपलब्धियाँ',*कुरूक्षेत्र*, अंक 12, पृ.क्र. 16-20, आईएसएसएन 0971-8451
3. सिंह, सतीश (2018),'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि ऋण',*कुरूक्षेत्र*, अंक 04, पृ.क्र. 26-30, आईएसएसएन 0971-8451
4. मिश्र, उमाशंकर (2016), यकिसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, *कुरूक्षेत्र,* अंक 08, पृ. क्रं. 09-14, आईएसएसएन 0971-84851.
5. श्रीवास्तव, दिव्या (2015),'संशोधित फसल बीमा योजना से समृद्ध हो रहे किसान', *कुरूक्षेत्र,* अंक 11, पृ. क्रं. 23-25, आईएसएसएन 0971-84851

****